न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 06/2017 **RCMS No.—2017/00088**

रूडमल सैनी पुत्र स्व. श्री सुवालाल सैनी जाति माली, निवासी मालीवाडा, ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र स्व. श्री उद्वाराम, जाति माली, निवासी मालीवाडा, ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर जरिये सरपंच।
3. ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर जरिये सचिव।

............गैर निगरानीकर्ता

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री ओमनारायण शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.12.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कालवाड, पंचायत समिति, झोटवाडा के निर्णय/आदेश दिनांक 13.09.1996 प्रस्ताव संख्या 05 जिसके आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 धन्नालाल पुत्र स्व. उद्वाराम जाति माली, निवासी ग्राम कालवाड के पक्ष में पट्टा संख्या 97–98/10 जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री ओमनारायण शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। मिसल ग्राम पंचायत कालवाड से प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत कालवाड का आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी याचिका निगरानीकर्ता के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी आबादी भूमि ग्राम मालीवाडा ग्राम पंचायत कालवाड में स्थित है। जिसकी नाप पूर्व पश्चिम 44 फीट उत्तर दक्षिण 12 फीट कुल 58.66 वर्गगज है जिसके पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में गणेश का बाडा, उत्तर में पश्चिम की ओर गणेश का मकान व उत्तर में पूर्व की और धन्नालाल का बाडा एवं दक्षिण में आम रास्ता 17 फीट चौडा स्थित है। निगरानीकर्ता की उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति का गैर

निगरानीकार द्वारा अवैध पट्टा संख्या 97—98/2010 ग्राम पंचायत कालवाड से जारी करवा लिया गया। निगरानीकर्ता के स्वामित्व की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा नाजायज कब्जा करने की कोशिश की गई जिसके संबंध में माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। जिसके पश्चात निगरानीकर्ता को उक्त विवादित पट्टे के बारे में जानकारी हुई एवं माननीय न्यायालय में उक्त पट्टे के विरूद्व निगरानी पेश की गई है। ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 97—98/2010 पंचायती राज नियम एवं अधिनियम 1994 की अवहेलना कर जारी किया गया है। गैर निगरानीकार धन्नालाल ने जिस भूमि का पट्टा चाहने बाबत आवेदन किया है उस आवेदन में प्रस्तावित भूमि की पहचान बाबत कोई विवरण नहीं दिया है। जो राज. पंचायती राज नियम 145 के अनुसार नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा पट्टा लेने के आवेदन पत्र में जिस भूमि का पट्टा चाहा है उसका कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया एवं ग्राम सचिव द्वारा मौके पर कोई नक्शा तैयार नहीं किया गया। पंचायती राज नियम 146(2) अनुसार भूमि का पट्टा देने के लिए मौका स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचो की समिति पंचायत की बैठक में नियुक्त की जाती है, निगरानीधीन पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में बिना ग्राम पंचायत की बैठक में तीन पंचो की नियुक्ति की गई। प्रकरण में तीन पंचो द्वारा बिना कोई मौका देखे रास्ते की भूमि को सम्मिलित होने के बावजूद उसका इन्द्राज अपनी मौका रिपोर्ट में पंचो ने नहीं किया। ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा पट्टा देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया मात्र दो आदेशिकाओ में ही निपटा दी गयी जो संदेहास्पद है। पंचायती राज नियम 148 उपनियम 2 की पालना में आपत्ति नोटिस गांव में दृश्य स्थान पर चस्पा किया जाना चाहिए एवं उसकी प्रति पर रिपोर्ट सहित उस स्थान का स्पष्ट अंकन होना चाहिए एवं रिपोर्ट पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के गवाह के रूप में अंकन होना चाहिए लेकिन विचाराधीन प्रकरण में निगरानीधीन पट्टे के आपत्ति नोटिस में चस्पानगी की जगह का उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 158 की अवहेलना कर गैर निगरानीकार संख्या 1 को 474.22 वर्गगज का पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता का निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर कब्जा के संबंध में कोई जांच नहीं की गई। अतः निगरानीकर्ता की अतः निगरानीकर्ताओ की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 13.09.1996 प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा जारी पट्टा संख्या 97—98/10 निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक कथन किया कि ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित सम्पत्ति से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की गयी है। निगरानी में निगरानीकर्ताओ द्वारा कौनसा भूखण्ड है, कितने वर्गगज का है, उसकी सीमायें, स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही निगरानीधीन पट्टा जारी किया है।

ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं आने के पश्चात दिनांक 23.12.1997 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर गैर निगरानीकार संख्या 1 आदिनांक तक काबिज चले आ रहे है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो। निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कालवाड द्वारा गैर निगरानीकार के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए मौका कमेटी गठित की जिसके क्रम में दिनांक 15.07.1996 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। विवादित भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र दिनांक 26.07.1996 को जारी किया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत कालवाड के आदेश दिनांक 23.12.1997 के द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में 474.25 रूपये पट्टा जमा होने पर उक्त विवादित सम्पत्ति का पट्टा दिनांक 23.12.1997 को जारी किया। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ता की विवादित सम्पत्ति पैतृक है व निगरानीकार का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मिसल संख्या 96–97/21 दायर दिनांक 14.07.1996 से पत्रावली बनाई गई है व नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार आपत्ति नोटिस निकाला जाकर एक माह में आपत्ति नहीं आने पर गैर निगरानीकार संख्या एक के हक में पटटा जारी करने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 167(2) के तहत निगरानीधीन पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.01.06 12:45:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: